लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1095

22 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

मांसपेशी-कंकाल विकार

1095. श्री अनुभव मोहंती:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हथकरघा श्रमिकों से जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य खतरों से अवगत है, जिसमें कमजोर दृष्टि, प्रारंभिक मोतियाबिंद और सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी-कंकाल विकार (एमएसडीएस) शामिल हैं जो सीधे इन हथकरघा श्रमिकों के काम और भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे पेशों से जुड़े खतरों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि श्रमिकों के स्वास्थ्य और दीर्घायु की रक्षा हो और परिवार अपने रोटी कमाने वाले के स्वास्थ्य और जीवन का लाभ प्राप्त करता रहे; और

(ग) क्या सरकार के पास ऐसी योजनाएं लाने की कोई योजना है जो नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए इन कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है और शारीरिक जोखिमों से बचने के लिए पेशे से जुड़े खतरों से उनको बचाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): बुनकरों के लिए स्वस्थ कार्य वातावरण तैयार करने के लिए भारत सरकार विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है । बुनकरों की अवस्था और उनके कार्य सुविधा में सुधार के लिए अन्य लाभों में आधुनिक हथकरघे प्रदान किए जाते हैं । प्राकृतिक अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए वर्कशेड का निर्माण किया जाता है और सूर्यास्त के बाद आंखों पर पड़ने वाले जोर को कम करने के लिए सोलर लाइटिंग भी प्रदान की जाती है ।

इसके अलावा, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा कामगारों के लिए मार्च, 2018 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) कार्यान्वित की है । आरएसबीवाई सभी कामगारों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित की गई थी । दिनांक 23.09.2018 को आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की शुरूआत से आरएसबीवाई को इसमें शामिल कर लिया गया है ।

इस योजना में लगभग 10.74 करोड़ गरीब एवं कमजोर परिवारों को 5.00 लाख रूपये तक प्रति परिवार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी ऐसे लाभार्थी परिवारों जिनको एसईसीसी आंकड़ों के अनुसार लक्षित समूहों में नहीं रखा गया है उनको भी पीएमजेएवाई के तहत शामिल किया गया है । एबी-पीएमजेएवाई में सामाजिक-आर्थिक जाति गणना (एसईसीसी) – 2011 के डाटा बेस के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित परिवारों और शहरी क्षेत्रों में अभिज्ञात व्यवसायिक श्रेणियों के कामगार परिवारों को शामिल किया जाता है ।

****